

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 431/2022

दायर दिनांक 14.11.2022

वादी

प्रतिवादीगण

1. नटवर लाल पुत्र रामानन्द जाति ब्राह्मण निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

1. अशोक कुमार पुत्र ब्रिजमोहन
2. मनीष कुमार पुत्र ओम प्रकाश
3. मुन्नीदेवी पत्नि ओम प्रकाश
4. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल
5. कमला पत्नि प्रभूदयाल
6. कालूराम पुत्र भंवरलाल
7. जितेन्द्र प्रसाद पुत्र राजूराम
8. बिरदीचन्द पुत्र रामनिवास
9. मनोज कुमार पुत्र ब्रिजमोहन
10. मांगीलाल दत्तक पुत्र रामगोपाल

बनाम

11. रमेश कुमार पुत्र भंवरलाल
12. रविन्द्र प्रसाद पुत्र राजूराम
13. रामप्रसाद पुत्र सुगनलाल
14. लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल
15. विजय कुमार पुत्र प्रभूदयाल
16. विनोद कुमार पुत्र ब्रिज मोहन
17. सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र राजूराम
18. हरिप्रसाद पुत्र फरसाराण समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
19. ICICI बैंक लिमिटेड शाखा डीडवाना
20. RMGB शाखा खुनखुना।
21. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री अशोक भाकर वकील वादी।
2. श्री विकास सैनी वकील प्रति0 1 ता 18 की ओर से।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 20.04.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाकै सरहद खरेश, पटवार हल्का खरेश भू0 अभि0 नि0 खुनखुना के खसरा सं0 297 रकबा 3.9500 हैक्टे0, खसरा सं0 290 रकबा 10.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 295 रकबा 9.1400 हैक्टे0, खसरा सं0 433 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 435 रकबा 0.1200 हैक्टे0, खसरा सं0 89 रकबा 2.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 291 रकबा 0.6300 हैक्टे0, खसरा सं0 292 रकबा



Wides

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

2.4400 हैक्टे०, खसरा सं० 379 रकबा 4.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 434 रकबा 7.7800 हैक्टे०, खसरा सं० 90 रकबा 2.0700 हैक्टे०, खसरा सं० 863 रकबा 3.0800 हैक्टे०, खसरा सं० 864 रकबा 0.0700 हैक्टे०, खसरा सं० 380 रकबा 2.8600 हैक्टे०, खसरा सं० 298 रकबा 1.2300 हैक्टे०, खसरा सं० 296 रकबा 3.5500 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 05.01.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: रीडर/2025/55 दिनांक 20.01.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: पत्रांक: रीडर/2025/55 दिनांक 20.01.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

—: आदेश :-

सरहद खरेश, पटवार हल्का खरेश भू० अभि० नि० खुनखुना के खसरा सं० 297 रकबा 3.9500 हैक्टे०, खसरा सं० 290 रकबा 10.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 295 रकबा 9.1400 हैक्टे०, खसरा सं० 433 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 435 रकबा 0.1200 हैक्टे०, खसरा सं० 89 रकबा 2.0800 हैक्टे०, खसरा सं० 291 रकबा 0.6300 हैक्टे०, खसरा सं० 292 रकबा 2.4400 हैक्टे०, खसरा सं० 379 रकबा 4.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 434 रकबा 7.7800 हैक्टे०, खसरा सं० 90 रकबा 2.0700 हैक्टे०, खसरा सं० 863 रकबा 3.0800 हैक्टे०, खसरा सं० 864 रकबा 0.0700 हैक्टे०, खसरा सं० 380 रकबा 2.8600 हैक्टे०, खसरा सं० 298 रकबा 1.2300 हैक्टे०, खसरा सं० 296 रकबा 3.5500 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: पत्रांक: रीडर/2025/55 दिनांक 20.01.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

W
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: रीडर/2025/55
दिनांक 20.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड
दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

wkas
(विकास मोहन भाटीका R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

wkas
(विकास मोहन भाटीका R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

